



# भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-78/2018-19

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
14.08.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, मनोहरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 25.9.18 को निर्धारित की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">अभिलेख 25.9.18 को उपस्थापित करें।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                       भूमि सुधार उपसमाहर्ता                      पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।                 </div>	
25.09.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक-1012 दिनांक-22.09.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 23.09.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक श्री हरिश चन्द्र महतो, पिता स्व० कृपा सिन्धु महतो, जाति-कुर्मी (अ०पि०वर्ग०), ग्राम-श्यामरायडीह, पो०+थाना चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा-श्यामरायडीह, थाना नं०-646, खाता नं० 77, प्लॉट नं० 335, रकवा:-0.05 ए० क्रेता श्री राम चन्द्र महतो, पिता-श्री मोहन लाल महतो, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग.), ग्राम-दुधकुन्डी, पो०-चक्रधरपुर, थाना-चक्रधरपुर, जिला- प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक श्री हरिश चन्द्र महतो, पिता स्व० कृपा सिन्धु महतो, जाति-कुर्मी(अ०पि०वर्ग०), ग्राम-श्यामरायडीह, थाना चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>बिक्रेता एवं क्रेता थाना-चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम के निवासी हैं। विक्रेता का जाति कुर्मी (अ.पि.वर्ग.) एवं क्रेता का जाति कुर्मी (अ.पि.वर्ग.), समुदाय के सदस्य है।</p> <p>विक्रेता उक्त वर्णित भूमि मकान बनाने हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत रकवा 2.54 ए० अदशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता श्री राम चन्द्र महतो पिता-श्री मोहन लाल महतो, जाति-कुर्मी (अ.पि.वर्ग.), ग्राम-दुधकुन्डी, पो०- चक्रधरपुर, थाना-चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम को उक्त भूमि बेचने की स्वीकृति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर</p> </div> <div style="text-align: center;">                       भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर                 </div> </div>	